संख्या-81/2025/।/1122955/2025/001-71-2099-534-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24-10-2025

विषय:-संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन लाण्ड्री, नर्सेस हास्टल आदि के निर्माण कार्य हेतु सिक्योरिटी मद में रोकी गयी 05 प्रतिशत अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1547/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2025/सि0-31, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन, लाण्ड्री एवं नर्सेज हास्टल आदि के निर्माण परियोजना के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा 02 अवशेष कार्य मदों (सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम एवं 01 नग डीजी सेट की स्थापना कार्य) को परियोजना से हटाने की अनुमति प्रदान करते हुए अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 150.16 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन लाण्ड्री, नर्सेस हास्टल आदि के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-02/2015/3428/71-2-15-आर0एम0-31/2010 दिनांक 08-01-2016 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 4708.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 4473.13 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन, लाण्ड्री एवं नर्सेज हास्टल आदि के निर्माण परियोजना के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को 02 अवशेष कार्यो को मदों (सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम एवं 01 नग डीजी सेट की स्थापना कार्य) से हटाने की अनुमति प्रदान करते हुए अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 150.16 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख सोलह हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 118.63 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 31.53 लाख) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. शासनादेश संख्या-02/2015/3428/71-2-15-आर0एम0-31/2010 दिनांक 08-01-2016 द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,18,63,000 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 31,53,000 (रुपये इकतीस लाख तिरेपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-81/2025/1/1122955/2025/001-71-2099-534-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था्न, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमि0, लखनऊ, 3/452 विराम खण्डी गोमती लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्तय (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।